

**उत्तराखण्ड शासन**  
**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून**  
**अधिसूचना**

24 अप्रैल, 2025 ई०

संख्या-152/नि०अनु०-भू०उप०परि०/बी-012/2025-आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ०)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 02.11.2024 एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.03.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ०)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

| क्र० सं० | मौजा                                     | खसरा नम्बर         | भूखण्ड का क्षेत्रफल | वर्तमान भू-उपयोग | भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव |
|----------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| 01       | मौजा कण्डौली परगना पछवाडून जिला देहरादून | 754, 766, 767, 774 | 9629.00 वर्गमीटर    | कृषि             | आवासीय                        |

बंशीधर तिवारी,  
उपाध्यक्ष।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 10-05-2025, भाग 1-क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू० (आ०ई०) 12 वि० प्राधि०/261-10-06-2025-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।